उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8
संख्या-338/नौ-8-2015-4(23)आ.न.यो./10
लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में एक लाख से कम आबादी वाली ऐसी नागर निकायें, जो यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी योजना से आच्छादित नहीं हैं, में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/9-5-2008-370सा/06 दिनांक 24 जनवरी, 2008 द्वारा आदर्श नगर योजना लागू की गयी थी, जिसके क्रियान्वयन हेतु जारी किये गये दिशा-निर्देशों में शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/नौ-8-2013-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 के माध्यम से संशोधन किया गया था।

2. आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले विकास कार्यों को वर्तमान परिवेश में निकायों की आवश्यकताओं के अनुरूप वहाँ पर रोजगार के सृजन एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से आदर्श नगर योजना के प्रभावी दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार सरलीकरण/संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

वर्तमान में विद्यमान व्यवस्था		संशोधित व्यवस्था
योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाली अवस्थापना सुविधाओं का विवरण :- पेयजल, सीवरेज, जल समूह संरचना, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, (ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन), स्लाटर हाउस, सड़कें, मार्ग प्रकाश व्यवस्था व अन्य सार्वजनिक सुविधाएं।		योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाली अवस्थापना सुविधाओं का विवरण :- पेयजल, सीवरेज, जल समूह संरचना, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, (ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन), स्लाटर हाउस, सड़कों का निर्माण व पुनर्निर्माण, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय, पार्क एवं चौराहों का निर्माण/सौंदर्यीकरण, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के प्रोत्साहन हेतु दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निर्माण, सामुदायिक केन्द्रो का निर्माण, जनसुविधा परिसर का निर्माण/विस्तार, शापिंग काम्प्लेक्स का निर्माण/विस्तार व अन्य सार्वजनिक सुविधाएं।

3. आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सृजित की गयी परिसम्पत्तियों, बैंक्वेट हाल/मैरिज हाल, सामुदायिक केन्द्र, शापिंग काम्पलेक्स व दुकानों का निर्माण आदि किया जाना विशुद्व रूप से व्यापारिक गतिविधियां हैं। अतः इन सृजित परिसम्पत्तियों से नागर निकाय को प्राप्त होने वाली आय से अनुरक्षण/संचालन के पश्चात जो धनराशि अवशेष बचती है, उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

4. आदर्श नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/9-5-2008-370सा/06 दिनांक 24.1.2008 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/नौ-8-2013-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 द्वारा जारी दिशा-निर्देश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

5. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहें है।

6/9/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या-338 (1)/नौ-8-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास/नियोजन/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय)
7. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
9. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव